

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1282

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 जुलाई, 2022/3 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया)

सहारा इंडिया समूह द्वारा धोखाधड़ी

1282. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सहारा इंडिया समूह की कंपनियों द्वारा किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में जांच चल रही है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा वास्तविक अपराधी को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सहारा प्रमुख अन्य वित्तीय धोखेबाजों की तर्ज पर देश से भाग न जाए;
- (घ) क्या सरकार सहारा इंडिया समूह की कंपनियों और उनके मालिकों की सभी संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार सहारा प्रमुख को गिरफ्तार करेगी क्योंकि वह जनता/सेबी (एसईबीआई) को निवेश वापस करने में विफल रहे, इसके बजाय उन्होंने सरकार/जनता को मूर्ख बनाने के लिए समाचार पत्रों के पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छपवाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा प्रमुख के परिवार ने विदेश में नागरिकता ले ली है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2018 के अपने आदेश के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित तीन कंपनियों के कार्यों का अन्वेषण करने का कार्य गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपा था:

1. सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
2. सहारा क्यू शॉप यूनिक्स प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड
3. सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड

उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 219 के तहत निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में अन्वेषण का आदेश दिया था:

1. अम्बे वैली लिमिटेड
2. क्विंग अम्बे सिटी डेवलपर्स कारपोरेशन लिमिटेड
3. सहाराय इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
4. सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड
5. सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड
6. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार को कोई अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग): गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा अन्वेषण के अधीन कंपनियों से संबंधित कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध लुक-आउट परिपत्र जारी कर दिए गए हैं।

(घ): भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य (सिविल अपील सं. 9813/2011 में 2012 की अवमानना याचिका (ग) सं. 412) शीर्षक वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 21.11.2013 के आदेश के द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ, यह आदेश दिया कि “..... सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अगले आदेश तक किसी भी चल तथा अचल संपत्तियों से अलग नहीं होंगी.....”

इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 04.06.2014 के अपने आदेश के द्वारा दिनांक 21.11.2013 के अपने आदेश और दिनांक 13.02.2013 के सेबी के आदेश को निम्नलिखित रूप में आंशिक रूप से संशोधित किया:

“..... सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ द्वारा धारित एफडी, बॉण्ड और प्रतिभूतियों का धारकों द्वारा नकदीकरण इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसी एफडी, बॉण्ड और प्रतिभूतियों का परिपक्वता मूल्य/बिक्री मुआवजा, इस आदेश के पहले भाग में संदर्भित सेबी के नाम निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा और शपथपत्र पर इस न्यायालय में पेश किए गए ऐसे परिपक्वता मूल्य और बिक्री मुआवजे का ब्यौरा एफडी, बॉण्ड और प्रतिभूतियों के नकदीकरण, बिक्री और/अथवा हस्तांतरण की तारीख से चार हफ्तों के भीतर फाइल किया जाएगा.....”

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.07.2016 के अपने आदेश के द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

“.....हम पहले दिए गए अपने आदेश को संशोधित करते हैं और सहारा को उनके द्वारा धारित संपत्तियों को बेचने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि ऐसी बिक्री उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सर्किल रेट के 90% से कम कीमत पर नहीं होगी जिसमें वह संपत्ति स्थित है। यह कहना अनावश्यक है कि सहारा द्वारा इस प्रकार वसूला गया बिक्री मूल्य संपूर्णतः सेबी सहारा खाते में खर्च, टीडीएस और लागू होने वाले अन्य सभी करों को घटाकर जमा किया जाएगा.....।”

(ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कोई भी गिरफ्तारी आवश्यकता पर आधारित है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): कंपनी के कार्यों के अन्वेषण के दौरान, व्यक्ति की नागरिकता कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालती है।
